

(92)

STP(PK)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

File No. 10990
Date 11/11/05

प0108733नोवीवि/3/04

जयपुर, दिनांक:

8 APR 2005

मुख्य नगर नियोजक,
राज0जयपुर ।

विषय:- मास्टर प्लान में वर्णित परोधी नियंत्रण क्षेत्र में सामान्य रूप से देय भू उपयोगों के मामलों में राजस्थान नगर पालिका भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2000 के अन्तर्गत भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होने बाबत ।

2159

11/11/05

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक टीपीआर 10990 दिनांक 11/11/04

महोदय,

उपरोक्त विषय में निदेशानुसार लेख है कि वर्तमान में मास्टर प्लान में वर्णित परोधी नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी भू-उपयोग की आवश्यकता पड़ने पर भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2000 के अन्तर्गत मामलों पर विचार कर नियमानुसार अनुमति जारी की जाती है। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा विचार कर निम्न प्रकार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं :-

1. परोधी नियंत्रण पट्टी में जिन शहरों की स्वीकृत मास्टर प्लान में निम्न भू-उपयोग अनुज्ञेय है - यथा ग्रामीण आबादी विस्तार, कृषि आधारित उद्योग ईट भट्टे, दुग्ध शाला, फलोद्यान, पौध शाला, मुर्गी पालन, फार्म हाऊस, रिजोर्ट्स, मोटल्स, स्मूजमेन्ट पार्क, वाटर पार्क इत्यादि उनमें राजस्थान नगर पालिका भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2000 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। इन प्रकरणों में स्वीकृत मास्टर प्लान में परोधी नियंत्रण क्षेत्र में वर्णित भू-उपयोग के प्रकरण में केवल भू-प्राप्ति/निष्पन्न की कार्यवाही की जावे।
2. तथा परोधी नियंत्रण क्षेत्र में मास्टर प्लान में वर्णित भू-उपयोगों के प्रकरणों में मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम, 2000 में जो प्लानिंग पैरामीटर्स निर्धारित किये गये हैं, उन पैरामीटर्स के अनुसार प्रकरण में भूमि प्राप्ति/निष्पन्न की स्वीकृति की कार्यवाही की जावे।

(208)